

COMMISSIONER
TAX
RAJKOT

आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

राजकोट डाक ए.डी.द्वारा :-

क्र	अपील / फाइल संख्या / Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक / Date
	22/429/RAJ/2012	66/JC/2011	30.12.2011/20.01.2012

अपील आदेश संख्या (Order-in-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-061-2020

आदेश का दिनांक /

Date of Order: 27.07.2020

जारी करने की तारीख /

Date of issue: 27.07.2020

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri. Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant/Respondent :-

M/s Gautam Freight Pvt. Limited, Plot No. 24-26, Sector 10-C, GIDC Area, Gandhidham (Kutch).

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। /
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section, 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- (i) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमों, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की राशि, ब्याज की राशि और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये, अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of duty/demand/ interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमों, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की राशि, ब्याज की राशि और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

विश्व अधिनियम 1994 की धारा 88 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9(2), एवं 9(2A) के तहत निर्धारित फॉर्म ST-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न की, (उनमें से एक प्रति प्रमाणीकृत होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा स्थायक आयुक्त अथवा उप-आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देते आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न कानी होगी। /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST 7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(1) सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेरवेट) के प्रति अपील के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 35एक के अंतर्गत, जो की विनियम अधिनियम, 1994 की धारा 33 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मूल्य के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जल केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाते तब अपीलित देय राशि तब करीब 30% से अधिक न हो।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत जमा किए गए शुल्क से निम्न शामिल हैं

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- (ii) सेल्वेट जमा की गई गलत राशि
- (iii) सेल्वेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्त यह कि इस धारा के प्राधान्य विधाय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विधायीय स्थायक अज्ञात एवं अपील को लागू नहीं होगी। /

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 93 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Convat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 5 of the Convat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पत्राचार आदेशन :

Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित नामते में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपत्रक या अंतरगत अथवा अधिक, भारत सरकार, पुरोक्षाग आवेदन ईकाई, पिन मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जिवन दीप भवन, संसद भवन, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35F laid:

(i) यदि भारत के किसी नुकसान के मामले में, उक्त नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह से माल के नुकसान के मागते हैं। /

In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के दिक्कतों में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केंद्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an exportable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. *

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके दिक्कत प्राधान्यों के तहत मांग की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तरीक अथवा न्यायाधिकारि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-S में, जो की केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, इस आदेश के संशोधन के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदागमी के समय के लिए पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-S as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the O/O and Order-in-Appeal, it should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदागमी की जानी चाहिए। /

जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.


(vii) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। इस ढंग के होते हुए भी की लिखा गयी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(viii) यथानुशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। /

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

(ix) सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि), नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए नियमों की ओर भी ध्यान अकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(x) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित दस्तावेज, विस्तृत और नवीनतम प्राधान्यों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.



: ORDER-IN-APPEAL :

The present appeal is restored for de-novo proceedings on directions received from the Hon'ble CESTAT, West Zonal Bench, Ahmedabad vide Order No. A/11254/2013 dated 26.09.2013. The said appeal was filed by M/s Gautam Freight Pvt. Ltd., Plot No. 24-26, Sector 10-C, GIDC Area, Gandhidham (Kutch) (hereinafter referred to as "the appellant") against the Order-in-Original No. 66/JC/2011 dated 30.12.2011/20.01.2012 (hereinafter referred to as 'the impugned order') passed by the Joint Commissioner, Central Excise, Rajkot (hereinafter referred to as 'the lower adjudicating authority').

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. V.ST/AR-GND/RJT/JC/227/10 dated 12.10.2010 was issued to the appellant for non-payment of service tax. The adjudicating authority confirmed demand of service tax of Rs. 5,81,535/- along with interest and imposed penalty vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the appeal.

3. The Appellant had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 14.01.2020 (SVLDRS-4) to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn."

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

(Signature)

(Signature)
27/1/2020
(GOPI NATH)
Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To,

M/s Gautam Freight Pvt. Ltd., Plot No. 24-26, Sector 10-C, GIDC Area, Gandhidham (Kutch)

मैसर्स गौतम फ्रेट प्रा। लिमिटेड, प्लॉट नंबर 24-26, सेक्टर 10-सी, जीआईडीसी एरिया, गांधीधाम (कच्छ)



प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फाइल।

